(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 86/2020
GST Circular No. 46 /2020

F.No 2016/AC-II/01/06/CRIS

4th November, 2020

General Managers
All Zonal Railways/Production Units

Sub :- Process to Re-Flag GST Input Tax Credit (ITC) Transaction

Some of the Zonal Railways have been requesting for allowing to reflag the ITC flagging done in IPAS due to errors at the time of passing of bills. Board has been considering to institutionalise a regular process in this regard. This issue has been discussed with CRIS and following schedule is being laid down:

A. Reflagging upto 5th of the following month:

Items against a bill can be reflagged by the Accounting units upto 5th of the following month, before the invoices are considered by the GSP for the purpose of ITC calculation. For example if a bill is paid on 20th Oct 2020, all items (transactions) will be available for reflagging from 21st Oct 2020 to 5th Nov 2020.

B. Reflagging after 5th of the following month:

Items against a bill will be allowed to be reflagged after 5th of the following month but before filing of GSTR3B for the month of September of following year. For example if a bill is paid on 20th Oct 2020, all items (transactions) will be available for reflagging from 6th November 2020 to 5th September 2021. Changes in flagging among 'No eligibility (T1,T2,T3)' to either 'Full ITC (T4)' or'Partial ITC (C2)' would affect Tax liability. Therefore, process for reflagging once it has been considered for calculation of ITC, will be governed in conformity with RBA No. 66/2020 dated 25.8.2020.

Reflagging will involve following 3 stages of initiation and approval:

i. Reflagging Initiation: Level 1/Level2 (AA/SO/SSO) of the section will select all such transactions and identify the existing flags and populate the required flags.

ii. Verifying the flags: Level 3 will verify and forward the report to JAG officer

iii. Confirmation of Flags: JAG/SAG officer in charge of GST cell of HQwill confirm all the transactions and may tally the tax liability and forward to PFA.

iv. Approval of Flags: The transactions confirmed by the JAG/SG/SAG officer in charge of GST Cell/HQ may be reviewed by the PFA online and approved using the digital token. Once approved. system will automatically generate a JV.

CRIS is being requested to do necessary changes in the IPAS and inform all the Zonal Railways accordingly. Taking this opportunity, CRIS is also requested to kindly bring out a concurrent process of modification of fields that is allowed to be edited/corrected as per laid down protocol, to enable reconciliation of IPAS expenditure data with that of GSTR-2A data. The reflagged report with change in tax liability will be forwarded to GSP for consideration.

This issues with the approval of competent authority.

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:-

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of the ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board.
4. Managing Director, Centre for Railway Information Systems, Chanakyapuri, New Delhi.
5. Director/Finance, CRIS, New Delhi.
6. GM/F/GSTM, GM/AIMS, CRIS, New Delhi.

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 86/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 46 /2020

एफ सं. 2016/एसी-II/01/06/क्रिस

4 नवम्बर, 2020

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय: जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेन-देन को री-फ्लैग करने की प्रक्रिया

कुछ क्षेत्रीय रेलों ने बिलों को पास करते समय आ रही गलतियों के कारण आईपीएएस में की गई आईटीसी फ्लैगिंग को री-फ्लैग करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है। बोर्ड ने इस संबंध में एक नियमित प्रक्रिया को संस्थागत करने पर विचार कर रहा है। इस मामले पर क्रिस के साथ विचार-विमर्श किया गया है और निम्नानुसार समय-सारणी तैयार की गई है:

क. अगले माह की 5 तारीख तक री-फ्लैगिंग करना:

लेखा इकाई द्वारा बिल के लिए मदों को आईटीसी की गणना के प्रयोजन के लिए जीएसपी द्वारा बीजकों पर विचार करने से पूर्व अगले माह की 5 तारीख तक री-फ्लैग किया जा सकता है। उदहारण के रूप में यदि किसी बिल का भुगतान 20 अक्टूबर, 2020 को किया गया है तो सभी मदें (लेन-देन) री-फ्लैगिंग के लिए 21 अक्टूबर, 2020 से 5 नवम्बर, 2020 तक उपलब्ध रहेंगी।

ख. अगले माह की 5 तारीख के पश्चात् री-फ्लैगिंग करना:

एक बिल हेतु मदों को अगले माह की 5 तारीख के पश्चात् परंतु अगले वर्ष के सितम्बर माह के लिए जीएसटीआर3बी के भरे जाने से पूर्व री-फ्लैग किए जाने की अनुमति होगी। उदहारण के रूप में यदि किसी बिल का भुगतान 20 अक्टूबर, 2020 को किया गया है तो सभी मदें (लेन-देन) री-फ्लेगिंग के लिए 6 नवम्बर, 2020 से 5 सितम्बर, 2021 तक उपलब्ध रहेंगी। 'नो एलिजबिलिटी (टी1, टी2, टी3)' चाहे 'पूर्ण आईटीसी (टी4)' या 'आंशिक आईटीसी (सी2)' हो, के बीच फ्लैगिंग में परिवर्तन से दायिता प्रभावित होगी। इसलिए, आईटीसी की गणना के लिए एक बार विचार किए जाने पर री-फ्लैगिंग के लिए प्रक्रिया दिनांक 25.08.2020 के आरबीए सं. 66/2020 के अनुरूप शासित होगी।

री-फ्लैगिंग में प्रारंभ और अनुमोदन के निम्नलिखित 3 चरण सम्मिलित होंगे:

i. री-फ्लैगिंग प्रारंभ: अनुभाग के लेवल 1/लेवल 2 (एए/एसओ/एसएसओ) अधिकारी सभी ऐसे लेन-देन का चयन करेंगे और मौजूदा फ्लैगों को चिह्नित करेंगे तथा अपेक्षित फ्लैगों को लगाएंगे।

ii. फ्लैगों को सत्यापित करना: लेवल 3 अधिकारी सत्यापन करेगा और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) अधिकारी को रपट अग्रेषित करेगा।

iii. फ्लैगों की पुष्टि करना : मुख्यालय के जीएसटी सेल के प्रभारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी सभी लेन-देन की पुष्टि करेंगे और कर दायिता का मिलान करें तथा इसे प्रधान वित्त सलाहकार को अग्रेषित करें।

iv. फ्लैगों का अनुमोदन: मुख्यालय के जीएसटी सेल के प्रभारी कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/चयन ग्रेड/वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी द्वारा पुष्टि किए गए लेन-देन की प्रधान वित्त सलाहकार द्वारा ऑनलाइन समीक्षा की जाए और डिजिटल टोकन का प्रयोग करते हुए इन्हें अनुमोदित किया जाए। एक बार अनुमोदित होने के बाद सिस्टम स्वत: ही एक जेवी जनरेट करेगा।

क्रिस से आईपीएएस में आवश्यक परिवर्तन करने और तदनुसार, सभी क्षेत्रीय रेलों को सूचित करने के लिए अनुरोध किया गया है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए क्रिस से यह भी अनुरोध किया गया है कि आईपीएएस व्यय डाटा के साथ जीएसटीआर-2ए डाटा का मिलान करने के लिए कृपया निर्धारित नयाचार के अनुसार फील्डों के आशोधन की समवर्ती प्रक्रिया तैयार करे जिसमें परिवर्तन/शुद्धियां किया जाना अनुमेय हो। कर दायिता में परिवर्तन सहित री-फ्लेग की गई रपट विचार हेतु जीएसपी को अग्रेषित की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. प्रधान वित्त सलाहकार, सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां।
2. सभी कार्यपालक निदेशक, कार्यपालक निदेशक स्तर सशक्त समिति, रेलवे बोर्ड।
3. सभी निदेशक, जीएसटी सेल, रेलवे बोर्ड।
4. प्रबंधक निदेशक, रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
5. निदेशक/वित्त, क्रिस, नई दिल्ली।
6. महाप्रबंधक/वित्त/जीएसटीएम, महाप्रबंधक/एआईएमएस, क्रिस, नई दिल्ली।